भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 308
5 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहायता
308. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत किसानों को दी गई ऐसी सहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस योजना के अंतर्गत नामांकित लगभग 2.40 लाख किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वे आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने में असमर्थ हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार दवारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है;
(ङ) क्या सरकार का आधार और बैंक खातों को जोड़ने के लिए निर्णय को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 1 दिसंबर, 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रखने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत 6000/- रुपये की धनराशि प्रति वर्ष 2000/- रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाती है।

पीएम-किसान के तहत जारी धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएम-किसान के तहत, आधार से जुड़े बैंक खाते की शर्त को 13वीं किस्त से अनिवार्य कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल लक्ष्यित लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित किए जाएं। इसके अलावा, लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में लाभ अंतरित करने से उनके पक्ष में अंतर्निहित लाभ होता है क्योंकि बैंक खातों में बदलाव की स्थिति में, लाभार्थियों को इसे अपडेट करने के लिए पुनः विभाग के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक खातों की आधार सीडिंग को संतृप्त करने के लिए, लाभार्थियों को उनके सक्रिय बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संपर्क किया जाता है। केंद्र सरकार ऐसे किसानों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सीधे उन्हें संदेश भी भेजती है ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के लाभ अंतरित किया जा सके।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने लाभार्थियों के आधार को उनके निकवर्ती बैंक खातों से जोड़ने का काम पूरा करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है। योजना के तहत ऐसे हितग्राहियों को 13वीं किश्त से शत-प्रतिशत लाभ आधार सीडिंग बैंक खातों में अंतरित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा किसानों की कोई भी किस्त नहीं रोकी जाती है। एक बार लाभार्थियों द्वारा आधार सीडिंग हो जाने के बाद, उनके सभी अर्जित लाभों को फिर से प्रोसेस किया जाता है और लाभ उन्हें अंतरित कर दिया जाता है।

(ङ) और (च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध-I

पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण (22/11/2023 तक)

		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
क्र.सं	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	जारी धन राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धन राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धन राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धन राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धन राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी धन राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9,932	2.02	16,408	9.98	16,324	9.73	16,270	9.54	14,992	8.56	13,160	3.40
2	आंध्र प्रदेश	32,82,718	663.37	49,88,519	2,710.38	49,45,891	2,865.02	46,18,979	2,907.30	47,83,549	2,959.81	43,51,698	1,884.82
3	बिहार	2,50,253	50.16	61,99,487	2,921.67	77,41,022	4,601.39	82,93,357	5,033.44	83,54,676	4,851.82	78,64,800	3,181.83
4	चंडीगढ़	48	0.01	448	0.27	432	0.25	397	0.24	367	0.20	134	0.03
5	छत्तीसगढ	1,02,405	22.61	20,51,396	1,043.50	29,82,431	1,732.75	32,56,809	1,920.28	29,47,050	1,616.42	22,20,010	1,023.30
6	दिल्ली	-	-	13,131	7.32	14,436	8.53	15,041	9.16	14,976	8.44	13,467	4.72
7	गोवा	2,409	0.49	8,600	4.31	9,630	5.57	9,451	5.73	9,118	4.74	6,080	2.56
8	गुजरात	28,06,803	572.01	51,15,505	2,884.98	56,67,576	3,380.65	58,84,358	3,599.52	59,62,338	3,167.84	48,49,357	1,998.57
9	हरियाणा	9,58,226	193.31	16,40,589	912.82	18,77,565	1,152.14	18,85,868	1,146.42	18,62,403	986.20	16,19,188	664.69
10	हिमाचल प्रदेश	4,53,087	91.41	8,80,378	525.36	9,18,666	549.42	9,51,392	570.12	9,46,579	469.83	7,87,961	344.44
11	जम्मू और कश्मीर	4,42,014	91.57	9,60,423	567.28	11,18,238	690.87	11,19,301	665.09	11,07,122	528.45	7,78,687	355.58
12	झारखंड	5,23,296	112.77	14,26,441	565.32	23,82,908	1,404.18	17,85,203	1,125.77	22,61,579	1,327.11	15,74,423	695.34
13	कर्नाटक	19,819	3.97	50,66,814	2,789.78	53,84,847	3,158.72	53,10,993	2,872.39	51,89,062	3,414.03	50,58,368	1,975.20
14	केरल	9,37,390	191.60	28,82,015	1,938.28	34,85,898	2,114.33	35,58,117	2,186.05	34,97,757	1,598.63	26,18,263	1,213.80
15	लद्दाख	6,952	1.43	13,817	8.80	17,031	9.29	17,578	11.02	17,673	10.38	16,574	6.71
16	लक्षद्वीप	-	-	1,268	0.30	828	0.68	870	0.43	848	0.66	1,501	2.15
17	मध्य प्रदेश	6,508	1.86	65,27,648	3,113.16	82,68,081	5,160.09	85,42,837	5,192.96	85,40,733	4,876.64	80,50,565	3,388.31
18	महाराष्ट्र	21,37,814	436.82	91,18,775	4,898.91	1,08,13,395	6,671.90	1,05,37,185	6,431.63	1,04,51,308	5,655.85	92,50,164	3,850.28
19	ओडिशा	9,42,516	194.77	35,11,606	1,686.71	25,55,034	1,458.08	33,02,911	2,670.13	33,89,362	1,792.28	30,11,704	1,386.15
20	पुदुचेरी	4,215	0.85	10,072	5.91	10,793	6.57	10,403	6.19	10,235	5.89	8,471	3.35
21	पंजाब	11,78,679	236.27	23,09,636	1,262.72	19,09,414	1,177.22	17,75,399	1,055.79	17,07,679	691.22	9,33,701	330.41
22	राजस्थान	64,634	13.00	55,62,805	3,381.86	67,51,402	4,321.59	73,30,103	4,588.04	72,59,774	3,792.36	61,37,475	2,457.43
23	तमिलनाडु	21,10,166	432.26	36,83,268	2,130.86	44,56,160	2,593.18	37,82,018	2,279.45	32,29,940	1,574.45	22,36,176	934.57
24	तेलंगाना	20,09,245	405.58	34,73,875	2,121.94	36,36,780	2,214.00	36,52,700	2,277.88	35,81,177	2,011.57	30,39,177	1,264.82
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7,534	1.52	14,136	8.07	14,284	6.75	12,803	8.48	12,958	8.64	11,832	4.72
26	उत्तर प्रदेश	1,07,84,080	2,238.82	1,98,70,097	11,006.58	2,33,05,648	14,431.30	2,45,57,306	15,769.67	2,43,00,100	12,450.90	2,02,98,117	8,421.12
27	उत्तराखंड	4,08,926	83.09	7,50,044	432.01	8,61,934	518.64	8,97,754	547.02	9,00,559	475.42	8,13,095	327.33
28	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	46,44,355	2,628.27	48,69,285	2,839.10	46,92,922	1,913.09
	योग (1)	**2,94,49,669**	**6,042**	**8,60,97,201**	**46,939**	**9,91,46,648**	**60,243**	**10,57,69,758**	**65,518**	**10,52,23,199**	**57,127**	**9,02,57,070**	**37,639**
पूर्वोत्तर		-											
29	अरुणाचल प्रदेश	1,722	0.36	62,172	29.43	92,187	56.77	93,588	56.68	95,095	53.06	73,592	29.01
30	असम	5,74,538	231.09	11,53,790	1,395.69	9,02,519	944.79	16,79,341	926.47	10,28,127	560.57	12,49,230	750.66
31	मणिपुर	29,118	6.27	2,73,117	86.71	4,99,760	238.24	3,11,111	177.08	3,67,646	192.87	3,921	1.78
32	मेघालय	3,816	1.86	49,116	43.39	95,472	107.30	1,96,119	115.61	56,079	18.57	63,631	46.34
33	मिजोरम	22,230	5.42	67,676	38.95	1,46,078	83.59	1,06,000	64.47	88,121	45.80	67,868	33.89
34	नागालैंड	30,363	6.46	1,88,786	91.16	1,97,781	121.96	1,99,854	122.64	1,97,090	103.42	1,48,094	61.07
35	सिक्किम	-	-	6,002	1.53	8,450	5.13	10,196	6.58	11,702	8.57	15,566	9.55
36	त्रिपुरा	1,48,053	30.37	1,95,248	113.43	2,20,589	130.15	2,19,576	133.93	2,34,743	147.59	2,28,674	88.99
	योग (2)	8,09,840	282	19,95,907	1,800	21,62,836	1,688	28,15,785	1,603	20,78,603	1,130	18,50,576	1,021
	सकल योग (1+2)	**3,02,59,509**	**6,323**	**8,80,93,108**	**48,739**	**10,13,09,484**	**61,931**	**10,85,85,543**	**67,121**	**10,73,01,802**	**58,258**	**9,21,07,646**	**38,660**

*****